भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5740
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य

5740. श्री इमरान मसूद:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मिशन वात्सल्य योजना के उद्देश्य क्या हैं और उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार, विशेषकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ख) मिशन वात्सल्य की निगरानी पद्धति का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (सीडब्ल्यू एंड पीसी) द्वारा कितने बच्चों की पहचान की गई है और उक्त योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को प्रायोजन सुविधा प्रदान की गई है; और
(घ) वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे बच्चों की संख्या कितनी है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद दी जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं, जिसमें संस्थागत और गैर-संस्थागत दोनों प्रकार की देखभाल सेवाएं शामिल हैं, प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-

उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि में सहायता प्रदान करते हैं।

मिशन वात्सल्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाओं/कार्यक्रमों को डिजाइन करते समय बच्चों के सर्वोत्तम हितों का हमेशा ध्यान रखा जाए। इसमें बच्चों के लिए आवश्यक सेवाएं, आपातकालीन आउटरीच सेवाएं स्थापित करना तथा संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करना शामिल है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 106 में कहा गया है कि जेजे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की है। जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 54 में राज्य सरकारों द्वारा निरीक्षण समितियों की नियुक्ति का प्रावधान है तथा अधिनियम की धारा 53 में संस्थान की बुनियादी सुविधाओं और अवसंरचना का मूल्यांकन कर उनके निर्धारित मानकों को बनाए रखने का प्रावधान है। जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) के अनुसार, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को जिले में नोडल प्राधिकरी के रूप में समर्थ बनाया गया है।

जेजे अधिनियम, 2015 (धारा 109) में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) की स्थापना का प्रावधान है।

मंत्रालय नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संपर्क बनाए रखता है ताकि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके।

मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधि जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहित जारी निधि का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ): मिशन वात्सल्य योजना के दिशा-निर्देशों में प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का प्रावधान है, जो जिला स्तर पर मिशन वात्सल्य योजना की गतिविधियों के साथ-साथ समग्र कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगी।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं जिनके अंतर्गत बच्चों को गैर-संस्थागत देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. **प्रायोजन:** विस्तारित परिवारों/जैविक रिश्तेदारों के साथ रहने वाले कमजोर बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना।
ii. **पालन-पोषण देखभाल:** बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी एक असंबंधित परिवार द्वारा ली जाती है।
iii. **दत्तक-ग्रहण:** दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित बच्चों हेतु परिवार ढूँढना। केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) दत्तक-ग्रहण के कार्यक्रम को सुगम बनाता है।
iv. **पश्चात देखभाल:** 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले बच्चों के लिए है ताकि बच्चे को समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल किया जा सके। ऐसी सहायता 18 वर्ष की आयु से 21 वर्ष की आयु तक दी जाती है, जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है।है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मिशन वात्सल्य योजना के तहत गैर-संस्थागत देखभाल के विभिन्न तरीकों जैसे प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल और पश्चात देखभाल के तहत कुल 1,21,861 बच्चों को सहायता प्रदान की गई है। प्रायोजन का निर्वाचन क्षेत्रवार डेटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

*****

अनुलग्नक

'मिशन वात्सल्य' के संबंध में श्री इमरान मसूद द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5740 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जारी की गई राशि**
1	आंध्र प्रदेश	25.01
2	अरुणाचल प्रदेश	24.35
3	असम	59.66
4	बिहार	65.18
5	छत्तीसगढ़	44.66
6	गोवा	0.00
7	गुजरात	47.10
8	हरियाणा	16.17
9	हिमाचल प्रदेश	21.15
10	जम्मू और कश्मीर	43.64
11	झारखंड	37.66
12	कर्नाटक	90.94
13	केरल	22.27
14	मध्य प्रदेश	60.85
15	महाराष्ट्र	95.38
16	मणिपुर	29.24
17	मेघालय	31.28
18	मिजोरम	53.09
19	नागालैंड	29.28
20	उड़ीसा	60.28
21	पंजाब	15.44
22	राजस्थान	42.84
23	सिक्किम	5.80
24	तमिलनाडु	128.70
25	तेलंगाना	39.98
26	त्रिपुरा	32.09

27	उत्तर प्रदेश	103.57
28	उत्तराखंड	32.63
29	पश्चिम बंगाल	57.42
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.68
31	चंडीगढ़	5.83
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3.19
33	दिल्ली	3.89
34	लक्षद्वीप	0.36
35	लद्दाख	4.39
36	पुदुचेरी	5.67
कुल		**1341.68**

*****